

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
2. अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, लखनऊ / कानपुर / मुरादाबाद / इलाहाबाद / मिर्जापुर।
3. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, लखनऊ / रायबरेली / हरदोई / उन्नाव / सीतापुर / खीरी / आगरा / अलीगढ़ / हाथरस / फिरोजाबाद / मैनपुरी / एटा / कासगंज / मथुरा / झांसी / ललितपुर / जालौन / हमीरपुर / महोबा / बांदा / चित्रकूट / बरेली / पीलीभीत / शाहजहांपुर / बदायूं / संभल / अमेठी / मुरादाबाद / रामपुर / बिजनौर / अमरोहा / गाजियाबाद / हापुड / मेरठ / बागपत / बुलन्दशहर / गौतमबुद्धनगर / सहारनपुर / मुजफ्फरनगर / शामली / बाराणसी / चन्दौली / गाजीपुर / जौनपुर / संतरविदासनगर / मिर्जापुर / सोनभद्र / गोरखपुर / महाराजगंज / देवरिया / कुशीनगर / बस्ती / सिद्धार्थनगर / संतकबीरनगर / आजमगढ़ / मऊ / बलिया / इलाहाबाद / फतेहपुर / प्रतापगढ़ / गोण्डा / कौशाम्बी / बहराइच / बलरामपुर / श्रावस्ती / फैजाबाद / सुल्तानपुर / अम्बेदकरनगर / बाराबंकी / कानपुर-नगर / कानपुर-देहात / फर्रुखाबाद / इटावा / कन्नौज / औरैया।
4. उप निदेशक पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र बक्शी का तालाब, लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, चकगंजरिया, लखनऊ / बाबूगढ़-हापुड / निबलेट-बाराबंकी।
7. प्रायोजना निदेशक, बृहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्र, मैसोडा, नौगढ़, चन्दौली।
8. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
9. क्षेत्र अधीक्षक / अधीक्षक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, चकगंजरिया, लखनऊ / आराजीलाइन्स-वाराणसी।
10. प्रक्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, लखनऊ।
11. प्रक्षेत्र प्रबन्धक / प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, आराजीलाइन्स-वाराणसी / सैदपुर-ललितपुर / बाबूगढ़-हापुड / हस्तिनापुर-मेरठ / भरारी-झांसी / निबलेट-बाराबंकी / नीलगांव-सीतापुर / आटा-जालौन / मंझरा-खीरी / चकगंजरिया, लखनऊ (स्थापित निबलेट बाराबंकी)

पत्रांक-442/बजट/29(5)/30/13/2018-19

दिनांक 2-8-2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय अनुमानों का प्रस्तुतीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 378/बजट/29(5)/30/13/2018-19 दिनांक 20.7.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय अनुमानों के प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक सूचना संलग्न प्रारूप पर निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, ने पत्र संख्या 4/2018/बी-1-864/दस-2018-15/2003 दिनांक 31 जुलाई, 2018 द्वारा आय-व्यय को और अधिक सूचनाप्रद बनाने तथा व्यय को अधिकाधिक युक्तिसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 से निम्नांकित पांच अतिरिक्त मानक मदें खोले गये हैं :-

54-पेंशन अवशेषों का भुगतान

वेतन समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप पेंशनरों को देय अवशेष पेंशन का व्यय सम्मिलित किया जायेगा।

55-मकान किराया भत्ता

राज्य कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते के रूप में दी जाने वाली धनराशि को सम्मिलित किया जायेगा।

56-नगर प्रतिकर भत्ता

राज्य कर्मचारियों को देय नगर प्रतिकर भत्ते के रूप में दी जाने वाली धनराशि को सम्मिलित किया जायेगा।

57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता

राजकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन.पी.ए.) के रूप में देय धनराशि को सम्मिलित किया जायेगा।

58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउट सोर्सिंग पर रखे गये स्टाफ पर व्यय सम्मिलित किया जायेगा।

अतएव वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आय-व्यय तैयार करते समय उपरोक्त से सम्बन्धित व्यय के अनुमानों को परिष्कृत मानक मदों के अन्तर्गत ही वर्गीकृत करते हुए पूर्व निर्धारित तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक।

75

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
2. अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, लखनऊ/कानपुर/मुरादाबाद/इलाहाबाद/मिर्जापुर।
3. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, लखनऊ/रायबरेली/हरदोई/उन्नाव/सीतापुर/खीरी/आगरा/अलीगढ़/हाथरस/फिरोजाबाद/मैनपुरी/एटा/कासगंज/मथुरा/झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/महोबा/बांदा/चित्रकूट/बरेली/पीलीभीत/शाहजहांपुर/बदायूं/संभल/अमेठी/मुरादाबाद/रामपुर/बिजनौर/अमरोहा/गाजियाबाद/हापुड/मेरठ/बागपत/बुलन्दशहर/गौतमबुद्धनगर/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/शामली/बाराणसी/चन्दौली/गाजीपुर/जौनपुर/संतरविदासनगर/मिर्जापुर/सोनभद्र/गोरखपुर/महाराजगंज/देवरिया/कुशीनगर/बस्ती/सिद्धार्थनगर/संतकबीरनगर/आजमगढ़/मऊ/बलिया/इलाहाबाद/फतेहपुर/प्रतापगढ़/गोण्डा/कौशाम्बी/बहराइच/बलरामपुर/श्रावस्ती/फैजाबाद/सुल्तानपुर/अम्बेदकरनगर/बाराबंकी/कानपुर-नगर/कानपुर-देहात/फर्रुखाबाद/इटावा/कन्नौज/औरैया।
4. उप निदेशक पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र बक्शी का तालाब, लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, चकगंजरिया, लखनऊ/बाबूगढ़-हापुड/निबलेट-बाराबंकी।
7. प्रायोजना निदेशक, बृहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसोडा, नौगढ़, चन्दौली।
8. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
9. क्षेत्र अधीक्षक/अधीक्षक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, चकगंजरिया, लखनऊ/आराजीलाइन्स-वाराणसी।
10. प्रक्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, लखनऊ।
11. प्रक्षेत्र प्रबन्धक/प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, आराजीलाइन्स-वाराणसी/सैदपुर-ललितपुर/बाबूगढ़-हापुड/हस्तिनापुर-मेरठ/भरारी-झांसी/निबलेट-बाराबंकी/नीलगांव-सीतापुर/आटा-जालौन/मंझरा-खीरी/चकगंजरिया, लखनऊ (स्थापित निबलेट बाराबंकी)

पत्रांक-

/बजट/29(5)/30/13/2018-19

दिनांक 2-8-2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय अनुमानों का प्रस्तुतीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 378/बजट/29(5)/30/13/2018-19 दिनांक 20.7.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय अनुमानों के प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक सूचना संलग्न प्रारूप पर निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, ने पत्र संख्या 4/2018/बी-1-864/दस-2018-15/2003 दिनांक 31 जुलाई, 2018 द्वारा आय-व्यय को और अधिक सूचनाप्रद बनाने तथा व्यय को अधिकाधिक युक्तिसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 से निम्नांकित पांच अतिरिक्त मानक मदें खोले गये हैं :-

• 54-पेंशन अवशेषों का भुगतान

वेतन समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप पेंशनरों को देय अवशेष पेंशन का व्यय सम्मिलित किया जायेगा।

55-मकान किराया भत्ता

राज्य कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते के रूप में दी जाने वाली धनराशि को सम्मिलित किया जायेगा।

56-नगर प्रतिकर भत्ता

राज्य कर्मचारियों को देय नगर प्रतिकर भत्ते के रूप में दी जाने वाली धनराशि को सम्मिलित किया जायेगा।

57-प्रेक्टिस बन्दी भत्ता

राजकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन.पी.ए.) के रूप में देय धनराशि को सम्मिलित किया जायेगा।

58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से आउट सोर्सिंग पर रखे गये स्टाफ पर व्यय सम्मिलित किया जायेगा।

अतएव वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आय-व्यय तैयार करते समय उपरोक्त से सम्बन्धित व्यय के अनुमानों को परिष्कृत मानक मदों के अन्तर्गत ही वर्गीकृत करते हुए पूर्व निर्धारित तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक।

संख्या 442 / बजट / 29(5) / 30 / 13 / 2019-20, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को इस आशय के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि उन्हें डी0डी0ओ0 कोड आवंटित न होने के कारण उनके यहां कार्यरत कर्मियों का अधिष्ठान मदों की धनराशि का प्रस्ताव अपने आहरण वितरण अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराते हुए निर्धारित तिथि को वित्तीय वर्ष 2018-19 का आय व्यय अनुमान बजट अनुभाग में पुस्तान्कित करने का कष्ट करें-

1. अपर निदेशक (ग्रेड-2), पशुपालन विभाग, आगरा / गोरखपुर / झांसी / बरेली / मेरठ / सहारनपुर / वाराणसी / बस्ती / आजमगढ़ / अलीगढ़ / देवीपाटन मण्डल (गोण्डा) / चित्रकूटधाम (बांदा) / फैजाबाद।
2. प्रायोजनाधिकारी, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, खीरी / रायबरेली / आजमगढ़ / मुजफ्फरनगर / गोरखपुर / जालौन।
3. मुख्य तकनीकी अधिकारी, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बरेली / पीलीभीत।
4. संयुक्त निदेशक, एनीमल न्यूटीनिष्ठ, बादशाहबाग, लखनऊ।
5. मुख्य तकनीकी अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, चक गंजरिया, लखनऊ।
1. मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट प्रशिक्षण), चक गंजरिया, लखनऊ।
2. उप निदेशक, पी0टी0एस0, पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, चक गंजरिया, लखनऊ।
3. मुख्य तकनीकी अधिकारी / अनुसंधान अधिकारी / क्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बाबूगढ़-हापुड़ / चक गंजरिया-लखनऊ / आगरा / झांसी / बरेली / मुरादाबाद / गोण्डा / इटावा / मिर्जापुर / वाराणसी / फैजाबाद।
4. प्रायोजना अधिकारी (संघन भेड एवं ऊन वर्गीकरण), मिर्जापुर।
5. मुख्य तकनीकी अधिकारी (ऊन वर्गीकरण एवं डिस्पोजल), मिर्जापुर।
6. मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड एवं ऊन विकास), इलाहाबाद / वाराणसी / मिर्जापुर।
7. संयुक्त निदेशक, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
8. वेटेनरी पैथोलॉजिस्ट / गाइनोकोलॉजिस्ट, गोरखपुर / फैजाबाद / लखनऊ / बरेली / मेरठ / आगरा / झांसी / मुरादाबाद / वाराणसी / इलाहाबाद / कानपुर नगर।
9. अनुसंधान अधिकारी, पशुपालन विभाग, मथुरा।
10. पशुचिकित्सा अधिकारी, कैनाईन रैबीज यूनिट, पशुपालन विभाग, आगरा / मुरादाबाद / मेरठ / वाराणसी / गोरखपुर।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक।